41

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

III/अपील/उमरिया/आ०अ०/2017/2861

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–उमरिया

मेसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया, जिला–इन्दौर (म.प्र.)

...... अपीलार्थी

विरुद्ध

(1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

(2) उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, रीवा (म.प्र.)

(3) जिला आबकारी अधिकारी जिला उमरिया (म.प्र.)

(4) जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड सेजवाया जिला – धार (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थीगण

श्री ... चौबे ... अभि. द्वारा आज दि. 29.7.17 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 29.7.17

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/3165 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा 62(2)–सी के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अपीलार्थी कम्पनीज एक्ट 1956 के तहत् पंजीबद्ध होकर शराब व्यवसायरत एक कम्पनी है।

2– यहकि, उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता रीवा ने पत्र क्रमांक आब/ठेका/2016/1501/दिनांक 07.10.2016 प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला उमरिया के स्टोरेज मद्यभाण्डागार पर अवधि माह अप्रेल 2015 मार्च 2016 तक कॉच की बोतलो में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कॉच की बोतलो में नहीं रखा गया है। जबकि संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कॉच की बोतलो में रखना अनिवार्य है। उपरोक्त अनियमितता पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5(1)/2016–17/5742 दिनांक 26.11.2016 से संविदाकार मैसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड (पूर्व नाम ग्रेट गेलियन लिमिटेड) सेजवाया धार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

3– यहकि, अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का विधिवत् जबाव दिनांक 07.12.2016 को प्रस्तुत किया। जबाव में निवेदन किया गया कि मद्यभाण्डागार उमरिया से फुटकर ठेकेदारों को उनकी मांग अनुसार प्रदाय दिया गया। ना तो कभी प्रदाय संबंधी कोई शिकायत रही, और न ही कभी प्रदाय असफल हुआ। ठेकेदारो द्वारा कॉच की बोतलो की मांग नहीं होने के बावजूद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

तीन / अपील / उमरिया / आ.अ. / 2017 / 2861

मै. ग्रेट गेलियन वेन्चर्स लिमि. विरूद्ध आबकारी आयुक्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–08–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी व अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री डी.एस. तौमर को ग्राहयता के तर्क पर दि. 13/8/18 को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्र0क्र0 5(1)/2017–18/3165 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62(2)–सी के अंतर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया। आबकारी आयुक्त के सत्यापित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी मैं0 ग्रेट गेलियन वेन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया जिला धार द्वारा देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लघंन पाते हुये राशि 15,000/– रुपये शास्ति आरोपित करने के साथ ही देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार उमरिया पर अप्रेल 2015 से माह मार्च 2016 में कुल 01 दिवस एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने से राशि 250/– रुपये प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 250/– (दो सौ पचास), इस प्रकार कुल राशि 15,250/– रुपये (पंद्रह हजार दो सौ पचास) की शास्ति आरोपित की है। आबकारी आयुक्त द्वारा	

2/2

देशी स्प्रिट नियमों के तहत विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है, **जिसमें** प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

4/ **दर्शित** परिस्थितियों में ग्राह्यता के पर्याप्त आधार न होने से अपील **अग्राहय** की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो।

31.8.18

(आर.के. जैन)
सदस्य